



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मुरादाबाद
तहसील मुरादाबाद
आवेदन क्र० 171350030090025
प्रमाणपत्र क्र० 042173026196

जारी दिनांक 03/10/2017

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

कु. तरन्नुम
श्री मतलूब
श्रीमती अनीसा
, काजीपुरा, पो- काजीपुरा
मुरादाबाद
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की संसदीय जाति के अन्तर्गत है। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1955 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. तरन्नुम एवम् अधिनियम 1955 (संशोधित) की अनुसूची 2 (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 3000 लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक 20 अक्टूबर 2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आवेदनित नहीं है। उनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा उनके पास धन कर अधिनियम 1950 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: शुभम पाल, आई.सी.एस.सी.
पद: शुभम पाल, केन्द्र प्रसारी
स्थान: काजीपुरा बाई
15, मुरादाबाद, Muradabad
दिनांक: 03/10/2017
हस्ताक्षर एवं मुहर

SUNITA
SINGH

Digitally Signed by
SUNITA SINGH OHP
GOVERNMENT
OF UTTAR PRADESH

सहाय अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
मुरादाबाद, मुरादाबाद
दिनांक 03/10/2017

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटरी सिग्नल द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नल से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://cdshetup.nic.in> पर उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है।

तरन्नुम